



उत्तर प्रदेश पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड
 (उ०प्र० सरकार का उपकम)
U.P. POWER TRANSMISSION CORPORATION LIMITED
 (Govt. of Utter Pradesh Undertaking)
 शक्ति भवन, 14 अशोक मार्ग, लखनऊ।

संख्या : 256-पारे०अनु०-16 / पाट्राकालि-2018

दिनांक: 27 जनवरी, 2018

कार्यालय-ज्ञाप

अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो तथा प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो के पद जो पूर्व में अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो में समाहित थे, के अब अलग-अलग पुनर्जीवित हो जाने के फलस्वरूप पूर्व में निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-1133-पारे०अनु०-16बी/पाट्राकालि-2017, दिनांक 01.09.2017 द्वारा गठित "कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति" को निरस्त करते हुए, एतद्वारा "कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति" व "प्रबन्ध निदेशक भण्डार क्रय/कार्य समिति" का गठन, निदेशक मण्डल के कार्योत्तर अनुमोदन की प्रत्याशा में निम्नानुसार किया जाता है :-

(क) कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति

- | | |
|---|-----------|
| 1. अध्यक्ष, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – अध्यक्ष |
| 2. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 3. निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 4. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 5. निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 6. निदेशक (एस०एल०डी०सी०) उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 7. निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 8. निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |

● समिति का कोरम

समिति का कोरम 04 सदस्यों का होगा जिसमें अध्यक्ष, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

● समिति के वित्तीय अधिकार

रु० पैंतीस करोड़ से अधिक के समस्त मामले।

(ख) प्रबन्ध निदेशक भण्डार क्रय/कार्य समिति

- | | |
|---|-----------|
| 1. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – अध्यक्ष |
| 2. निदेशक (का०प्रब० एवं प्रशा०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 3. निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 4. निदेशक (आपरेशन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 5. निदेशक (एस०एल०डी०सी०) उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 6. निदेशक (वाणिज्य एवं नियोजन), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |
| 7. निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० | – सदस्य |

● समिति का कोरम

समिति का कोरम 04 सदस्यों का होगा जिसमें प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० एवं निदेशक (वित्त), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि० की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

● समिति के वित्तीय अधिकार

रु० दस करोड़ से अधिक एवं रु० पैंतीस करोड़ तक के समस्त मामले।

विशेष- उ०प्र० शासन के वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-10 के पत्रांक-ई-10-125/दस-2016 दिनांक 11.05.2016 में निहित प्राविधानों के अनुसार उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिलो की कारपोरेट भण्डार क्रय/कार्य समिति एवं प्रबन्ध निदेशक भण्डार क्रय/कार्य समिति में वित्त विभाग, उ०प्र० शासन के किसी अधिकारी को नामित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

अध्यक्ष

सं: 256 (i) पारेंजनु०-१८/पाट्रकालि-२०१८ तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :

1. प्रमुख सचिव (ऊर्जा), उ०प्र० शासन, लखनऊ के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
3. प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
4. समस्त निदेशकगण, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
5. समस्त मुख्य अभियन्ता, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
6. समस्त महाप्रबन्धक/उपमहाप्रबन्धक/लेखाधिकारी/उपमुख्य लेखाधिकारी, उ०प्र०पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०।
7. कम्पनी सचिव, उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
8. अधिशासी अभियन्ता (सं०), निदेशक (आपरेशन) उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से,



(ए०क० श्रीवास्तव)
उपसचिव (पारेषण)